

[2024] 10 एस.सी.आर. 639 : 2024 आईएनएससी 782

लालू यादव

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 4222/2024)

16 अक्टूबर 2024

[न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल]

विचारार्थ मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय को दंड संहिता 1860 की धारा 376 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था।

हेडनोट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – दंड संहिता, 1860 – धारा 376, 313 – प्रत्यर्थी संख्या 4–
परिवादी ने शादी के झूठे वादे पर अपीलकर्ता द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया – क्या परिवादी ने तथ्यों की गलत धारणा के तहत अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध के लिए अपनी सहमति दी थी, जैसा कि आरोप लगाया गया है:

अभिनिर्धारित किया: नहीं – एफआईआर के अनुसार, अपराध कथित तौर पर 2013 से 2018 के बीच किया गया था, हालांकि, एफआईआर 2018 में ही दर्ज की गई थी – एफआईआर दर्ज करने में 5 साल से अधिक की देरी हुई थी – परिवादी और अपीलकर्ता लंबे समय से पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे – "मेरी सहमति के बिना मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया" और "पति के रूप में मेरे साथ रहना शुरू कर दिया" कथनों के बीच एक बड़ी विषमता है – वर्तमान मामला लंबे समय तक सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का मामला है जिसके दौरान परिवादी ने अपीलकर्ता को अपने पति के रूप में संबोधित किया – एफआईआर में लगाए गए

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

आरोप प्रथम दृष्टया यौन संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से शादी का झूठा वादा करने का मामला नहीं बनाते हैं – तथ्यों पर, बाद में परिवादी से शादी करने से इनकार करना यह स्थापित करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त नहीं है कि परिवादी ने तथ्य की गलत धारणा के तहत अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध के लिए सहमति दी थी, ताकि अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 375 के अर्थ के तहत बलात्कार करने का दोषी ठहराया जा सके – इसके अलावा, अब से आईपीसी की धारा 313 के तहत अपराध का आरोप राज्य द्वारा हटा दिया गया है, आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप पर अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है – उच्च न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था – आक्षेपित आदेश रद्द कर दिया गया – एफआईआर और उसके आधार पर आगे की सभी कार्यवाही रद्द कर दी गई। [पैरा 9, 14-16]

न्यायिक समीक्षा – आपराधिक मामले – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – भारत का संविधान – अनुच्छेद 226 – अपीलकर्ता ने अनुच्छेद 226 के तहत एफआईआर को रद्द करने की मांग की – याचिका का नामकरण प्रासंगिक नहीं है, याचिका को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत माना जा सकता है:

अभिनिर्धारित किया: उच्च न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए कर सकता है – जिस नामकरण के तहत याचिका दायर की जाती है वह अप्रासंगिक है – यदि न्यायालय को लगता है कि याचिकाकर्ता अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकता है, तो वह याचिका पर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत विचार कर सकता है। [पैरा 1]

उद्धृत केस कानून

पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट [1997] पूरक 5 एससीआर 12 : (1998) 5 एससीसी 749; सत्यपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1996] पूरक 9 एससीआर 203 : 2000 सीआरएलजे 569 – संदर्भित।

शिवशंकर उर्फ शिवा बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2019) 18 एससीसी 204; "XXXX" बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य [2024] 3 एससीआर 309 : (2024) 3 एससीसी 496; नईम अहमद बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) [2023] 1 एससीआर 1061 : 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 89; हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य [1990] पूरक 3 एससीआर 259: एआईआर 1992 एससी 604 – पर अवलम्ब लिया।

अजीत सिंह @ मुराहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 (56) एससीसी 433 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड संहिता, 1860; भारत का संविधान।

मुख्य शब्दों की सूची

धारा 482, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; अंतर्निहित शक्ति; रद्द करना; शादी का झूठा वादा कर रेप; पति-पत्नी के रूप में लंबे समय तक रहने वाले पक्षकार; तथ्य की गलतफ़हमी के तहत यौन संबंध के लिए सहमति; एफआईआर दर्ज कराने में देरी; लंबे समय तक सहमति से बने शारीरिक संबंध; शादी से इनकार; आपराधिक मामलों में न्यायिक समीक्षा; याचिका का नामकरण।

निम्न मामले से उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 4222/2024

सीआरएमडब्ल्यूपी संख्या 16825/2018 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 26.07.2018 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्तागण देवव्रत, सुश्री स्वाति सेतिया, सुश्री हर्षिता शर्मा, देवेश कुमार अग्निहोत्री, सुबास रे, डॉ. पबित्रा पाल चौधरी, नितिन जैन।

प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्तागण अजय कुमार मिश्रा, ए.जी./वरिष्ठ अधिवक्ता गर्वेश काबरा, सुश्री हर्षिता रघुवंशी, श्रीमती पूजा काबरा, शांतनु कुमार, अनुराग सिंह।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार,

अनुमति प्रदान की गयी।

1. उपरोक्त अपील आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 16825/2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.07.2018 के खिलाफ दायर की गई है। उक्त रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले के पुलिस स्टेशन नंदगंज में भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 376 और 313 के तहत दर्ज केस अपराध संख्या

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

28/2018 की दिनांक 21.02.2018 की एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी, इस न्यायालय के **पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट**¹ में दिए गए फैसले का उल्लेख करना प्रासंगिक है। उसमें यह माना गया था कि उच्च न्यायालय आपराधिक मामलों में न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और यह न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत या आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सीआर.पी.सी.') की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जिस नामकरण के तहत याचिका दायर की गई है वह बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। यदि अदालत को पता चलता है कि याचिकाकर्ता अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकता है, तो वह याचिका को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मान सकता है।

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के लिए विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 4 (परिवादी) की ओर से भी विद्वान अधिवक्ता को सुना।

3. उसके परिवाद की गंभीरता, जिसके आधार पर 21.02.2018 को उपरोक्त अपराध दर्ज किया गया था, उसके तहत लगाए गए निम्नलिखित आरोपों से पता चलता है:—

“... मेरी बड़ी बहन मीरा देवी की शादी सतेन्द्र यादव ग्राम कुकुड़ा थाना नन्दगंज, जिला—गाजीपुर से हुई थी। लालू यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी अतरसुइया थाना नंदगंज जिला गाजीपुर मेरे घर मेरी बड़ी बहन के देवर रविन्द्र यादव के साथ आता—जाता था, उस समय लगभग पांच वर्ष पूर्व मैं हाईस्कूल की छात्रा थी, तब उक्त लालू यादव ने मुझे धोखे में रखकर मुझसे शादी करने का वादा किया तथा मेरी सहमति के बिना मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया तथा पति के रूप में मेरे साथ रहने लगा। वह कहता था कि जब उसे नौकरी मिल जाएगी तो वह मुझसे शादी करेगा। मेरी मां राजवती देवी और मेरे पिता हरि सिंह यादव को भी हमारे रिश्ते की जानकारी थी। जब मेरे पिता और मां ने हमारे रिश्ते पर आपत्ति जताई तो लालू यादव ने उनसे कहा कि वह प्रीति से शादी करेंगे। उसने उससे कहा कि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसलिए मेरे माता—पिता चुप हो गए और लालू यादव ने मेरी सहमति के बिना प्रार्थिया मेरे साथ संबंध बनाए रखा, जिसके कारण मैं गर्भवती हो गई, जिसकी जानकारी होने पर उसने मुझे दवा दी और जिससे गर्भपात हुआ और जब दिनांक 28.09.2017 को उक्त लालू यादव प्रार्थिया के घर आया फिर दिनांक 29.09.2017 को उक्त आवेदिका को वाराणसी ले गया और मुझे एक होटल में रखा तथा पुनः मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया जिससे मई 2017 में, मैं गर्भवती हो गयी। और उक्त लालू यादव ने मुझ पर दोबारा दबाव डालकर मेरा गर्भपात करा दिया, उसके बाद 17.12.2017 को फिर से उक्त लालू यादव मुझे वाराणसी के

1 [1997] पूरक 5 एससीआर 12 : (1998) 5 एससीसी 749

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

एक होटल में ले गया और मुझसे शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद लालू यादव को सेना में नौकरी मिल गई और जिसके बाद वह आवेदिका से शादी करने से इनकार कर रहे हैं... ”

4. प्रासंगिक स्थिति में, अनुलग्नक-पी2/एफआईआर में मद संख्या 3 के तहत दिए गए विवरण को संदर्भित करना प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है: –

“3 (क) अपराध की घटना।

1. दिनांक – 05.01.2013 से दिनांक – 05.01.2018 तक।

(ख) थाना पर प्राप्त जानकारी:

दिनांक: 21.02.2018. समय: 21.34 बजे।”

5. विरोधी दलीलों पर गौर करने से पहले, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि हालांकि इस न्यायालय ने 13.11.2018 को अपराध संख्या 28/2018 में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, इस न्यायालय ने 18.08.2023 को वस्तुतः इसे निम्नानुसार संशोधित किया: –

“यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.11.2018 को थाना नंदगंज, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत अपराध संख्या 28/2018 में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश आईपीसी की धारा 313 के तहत अपराध की विवेचना के रास्ते में नहीं आया।

मामले को दो महीने बाद सूचीबद्ध करें।”

6. इससे पहले, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से आक्षेपित आदेश को पूरी तरह से सही ठहराते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से भी, स्पष्ट रूप से, उसी तर्ज पर एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया था। आदेश दिनांक 18.08.2023 के अनुसरण में, आईपीसी की धारा 313 के तहत अपराध करने के आरोप के संबंध में अपराध संख्या 28/2018 में विवेचना जारी रखने की अनुमति देते हुए, उस संबंध में विवेचना जारी रखी गई और पूरी की गई। इसके बाद, विवेचना की स्थिति के संबंध में पहले प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया जहां तक यह प्रासंगिक है, इस प्रकार है: –

“6. निर्देश के अनुसार, विवेचना अधिकारी ने आईपीसी की धारा 313 के तहत अपराध के संबंध में विवेचना की थी और उचित विवेचना और उसके बयान, मेडिकल रिपोर्ट आदि सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि धारा 313 आईपीसी के तहत अपराध के संबंध में कोई साक्ष्य/सामग्री उपलब्ध नहीं है, अर्थात् वर्तमान अपराध में पीड़िता के गर्भपात को प्रमाणित करने वाली कोई सामग्री नहीं है और इसलिए 02.02.2024 को धारा 313, आईपीसी के तहत अपराध को हटा दिया गया।

7. धारा 376 के तहत विवेचना अभी भी लंबित है क्योंकि इस पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है।”

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

7. पूर्वोक्त पैराग्राफ 6 और 7 में दिए गए बयान के मद्देनजर, निर्विवाद स्थिति यह प्राप्त हुई कि अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 313 के तहत अपराध करने का आरोप हटा दिया गया है। विचार के लिए जो बचता है वह केवल यह प्रश्न है कि क्या विवादित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है और अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए विषयग्रस्त एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए?

8. हमने पहले ही विषय एफआईआर से सामने आए तथ्यों पर ध्यान दिया है कि अपराध की घटना का समय कथित तौर पर 05.01.2013 से 05.01.2018 है और यह 21.34 बजे ही दर्ज किया गया था। इसके अलावा, 21.02.2018 को यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 के अनुसार भी, स्वयं परिवादी और अपीलकर्ता पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। प्रत्यर्थी संख्या 4 की शिकायत, जैसा कि उससे पता चला है, अपीलकर्ता ने शादी करने का वादा करके और फिर शारीरिक संबंध स्थापित करके उसे धोखा दिया था। पुनः दोहराने पर, हमें उसके परिवाद से निम्नलिखित विवरण लेकर एफआईआर का संदर्भ लेना होगा:

“... लालू यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी अतरसुइया थाना नंदगंज जिला –गाजीपुर, उस समय मेरी बड़ी बहन के देवर रवीन्द्र यादव के साथ मेरे घर आया करते थे, लगभग पाँच वर्ष पहले मैं हाई स्कूल की छात्रा थी, फिर उक्त लालू यादव ने धोखे करके मुझसे वादा किया कि वह मुझसे शादी करेगा और मेरी सहमति के बिना मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मेरे साथ पति के रूप में रहने लगा।”

(प्रभाव वर्धित)

9. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि "मेरी सहमति के बिना मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया" और "पति के रूप में मेरे साथ रहना शुरू कर दिया" कथनों के बीच एक बड़ी अनियमितता है। जैसा भी हो, प्रश्नगत एफआईआर में दर्शाए गए प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, हम इस न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों का उल्लेख करेंगे।

10. आक्षेपित आदेश के तहत रिट याचिका को खारिज करते समय, संभवतः पांच साल के समय अंतराल पर आधारित तर्कों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने **अजीत सिंह उर्फ मुरहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**² और **सत्य पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**³ में अपने पूर्ण पीठ के निर्णयों के साथ –साथ **हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य**⁴ में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलम्ब लिया। यह देखा गया और माना गया कि विवेचना में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है या गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया जा सकता है जब तक कि संज्ञेय अपराध एफआईआर में निहित आरोपों से प्रथम दृष्टया स्पष्ट न हो या किसी मामले की विवेचना करने के लिए पुलिस की शक्ति के खिलाफ कोई वैधानिक प्रतिबंध लागू न हो। उक्त निर्णयों के आधार पर बनाये गये कानून की व्याख्या पर कोई दो राय नहीं हो सकती। साथ ही हमें यह भी कहना होगा कि ये निर्णय सीआरपीसी की धारा

2 2006 (56) एसीसी 433

3 [1996] पूरक 9 एससीआर 203 : 2000 सीआरएलजे 569

4 [1990] पूरक 3 एससीआर 259 : एआईआर 1992 एससी 604

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

482 के तहत शक्ति के प्रयोग पर इस न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार की गई विभिन्न अन्य स्थितियों में, जिसमें **भजन लाल(सुप्रा)** मामले का निर्णय भी शामिल है, बाधा नहीं बन सकते हैं।

11. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मौजूदा मामला वर्तमान चरण में रद्द करने योग्य है या नहीं, हम कुछ निर्णयों का उल्लेख करेंगे। हमने पहले ही इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि हालांकि एफआईआर में आईपीसी की धारा 313 के तहत अपराध करने का आरोप था, विवेचना पूरी होने पर, जांच एजेंसी ने अपीलकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 313 के तहत अपराध को हटा दिया। **भजन लाल(सुप्रा)** मामले में निर्णय के पैराग्राफ 102 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:—

“102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में जिसको हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है, उसमें हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलयुक्त और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके मूल रूप और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, जो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना को उचित ठहराता हो।

(3) जहां प्राथमिकी या परिवाद में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना विवेचना की अनुमति नहीं है, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित है।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(5) जहां प्राथमिकी या परिवाद में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभाव्य हों कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावकारी निवारण प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना हो और /या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से और निजी एवं व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हो।"

12. **शिवशंकर उर्फ शिवा बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य⁵** के निर्णय में इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:—

"4. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को कायम रखना मुश्किल है, जिसने संभवतः परिवादी से शादी का झूठा वादा किया होगा। हालाँकि, आठ साल तक जारी रिश्ते के दौरान यौन संबंध को "बलात्कार" के रूप में रखना मुश्किल है, खासकर परिवादी के स्वयं के आरोप के सामने कि वे पुरुष और पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे।"

13. **"XXXX" बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य⁶** का निर्णय संदर्भित स्थिति में भी प्रासंगिकता रखता है। इस न्यायालय ने **नईम अहमद बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)⁷** में इस न्यायालय के पहले के निर्णय पर विचार किया, जहां आरोप शादी के झूठे वादे पर कथित बलात्कार का था, जो परिवादी और आरोपी के संबंध बनाने के पांच साल बाद लगाया गया था और यहां तक कि आरोपी से गर्भवती भी हो गई थी, बेशक, जब वह विवाहित थी, तो न्यायालय ने पाया कि यह कल्पना नहीं की जा सकती कि अभियोक्त्री ने गलत धारणा के तहत यौन संबंध के लिए अपनी सहमति दी थी, उक्त निर्णय पर विचार करने और तथ्यों में पहचान खोजने के बाद, इस न्यायालय ने (2024) 3 एससीसी 496 में रिपोर्ट किए गए निर्णय में उस आदेश को उलट दिया जिसमें एफआईआर को रद्द करने के लिए धारा 482, सीआरपीसी के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था और आक्षेपित आदेश को अपास्त करके और प्रश्नगत एफआईआर को रद्द करके अपील की अनुमति दी थी।

14. अब, इस मामले में प्राप्त तथ्यात्मक स्थितियों के संदर्भ में ऊपर उल्लिखित निर्णयों पर गहन विचार करने के बाद, हम इस विचार पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार न करके स्पष्ट रूप से गलती की है कि क्या परिवाद में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि परिवादी ने तथ्यों की गलत धारणा के

5 (2019) 18 एससीसी 204

6 [2024] 3 एससीआर 309 : (2024) 3 एससीसी 496

7 [2023] 1 एससीआर 1061 : 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 89

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तहत अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध के लिए अपनी सहमति दी थी, जैसा कि आरोप लगाया गया है, या क्या इससे सहमति से यौन संबंध के मामला का पता चलता है। सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रश्नगत एफआईआर से ही पता चलता है कि एफआईआर दर्ज करने में 5 साल से अधिक की देरी हुई है; दूसरा, परिवादी का मामला, जैसा कि एफआईआर से पता चलता है, यह दिखाता है कि वे लंबे समय तक पति और पत्नी के रूप में रहे और तीसरा, प्रश्नगत एफआईआर और अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्रियों से प्राप्त तथ्य और परिस्थितियां प्रथम दृष्टया मामले के अभाव को प्रकट करती हैं कि परिवादी अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 4 ने तथ्यों की गलत धारणा के तहत अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध के लिए अपनी सहमति दी थी। किसी भी स्थिति में, एफआईआर में लगाए गए आरोप, यौन संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू से ही शादी करने का झूठा वादा करने का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाते हैं और इसके बजाय वे लंबे समय तक सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का प्रथम दृष्टया मामला प्रकट करते हैं, जिसके दौरान परिवादी ने अपीलकर्ता को अपने पति के रूप में संबोधित किया। इसके अलावा, परिवादी का मामला भी यही है, जैसा कि संबंधित एफआईआर और अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्रियों से पता चला है कि वह अपने परिवार की जानकारी में अपीलकर्ता के साथ वाराणसी गई थी और ऐसी यात्राओं के दौरान उसके साथ होटलों में रुकी थी। मामले में प्राप्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, परिवादी द्वारा बाद में विवाह करने से इंकार करना किसी भी तरह से प्रथम दृष्टया यह मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि परिवादी ने तथ्यों की गलत धारणा के तहत अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध के लिए सहमति दी थी, ताकि अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अर्थ में बलात्कार करने का दोषी ठहराया जा सके।

15. उपरोक्त चर्चा का सारांश यह है कि मौजूदा मामला एक उपयुक्त मामला है जहां उच्च न्यायालय को न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उपलब्ध शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था। अब जब आईपीसी की धारा 313 के तहत अपराध का आरोप हटा दिया गया है, तो धारा 376, आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप पर अपीलकर्ता के खिलाफ आगे कार्यवाही करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था।

16. उपरोक्त कारणों से, आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 16825/2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 26.07.2018 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज पुलिस स्टेशन में दिनांक 21.02.2018 को दर्ज एफआईआर संख्या 28/2018 और उसके आधार पर आगे की सभी कार्यवाही रद्द की जाती है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

मामले का परिणाम: अपील को अनुमति दी गई।

हेडनोट तैयारकर्ता: दिव्या पांडे

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”